

2014 | 00347

CEM

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
B7/14	1BB RZA	मलवाडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राजकाई	बनाम	हरलाल	
अभिभाषक वादी	उपस्थिति	अभिभाषक प्रतिवादी	
Sd. C.L.B. Ad.			
प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक	दाखिला दफ्तर	पृष्ठ संख्या
23-6-14	23/6/15		
कार्यवाही दिनांक			
सम्पन्न तामिली	जवाब वाद/प्रार्थना पत्र	विवादाक निरधारण	विविध प्रार्थना पत्र
28.7.14 8-6-15	<u>6906</u> कन. 104		वादी 05/11/15 दोना 15/2/15 पु 4/8/15 दोना माफुड - 23/6/15
साक्ष्य वादी	साक्ष्य प्रतिवादी	बहस	
अंतरिम एक पक्षीय निषेधाज्ञा	प्राथमिक डिक्री		
स्थगन वादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	स्थगन प्रतिवादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

कुल मितता
(14)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

(2)

डिक्री

दिनांक	87/15	धारा अंतर्गत	188 RTA	निर्णय दिनांक	23/6/15
समक्ष:-	200 विमान लाल भीत RAS				
उपस्थिति:-	अभिभाषक वादी				अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट 2015/15/15

राजबहाई पत्नी लहूर लाल पुत्री वान्ना लाल अग्नि भीत 10 गेहूँ खेती (खादीपत)

हरलाल पुत्र शंकर लाल पुत्री भीत 10 गेहूँ खेती सह कृषक (उत्तवादी)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुसंग डिक्री निर्गत की जाती है कि

राजस्व लोक अदालत के संवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत न्यायिक शक्ति पर
मामे कानून, वादी का वाद स्वीकार, विवादित प्लॉट नं. 10 -
भीतवादी सह कृषक शंकर लाल नं. 10 पर वर्ष 1975-76 में
उत्तवादी शंकर लाल का पञ्चम डिक्री निर्गत हुआ है कि वादी का
के उत्तवादी की धारणा पर दस्तावेज खान्दानी नहीं करे, एवं
वादी को भी पाखण्ड किया जाता है कि उत्तवादी के उत्तवादी
की धारणा पर दस्तावेज खान्दानी नहीं करे।

साथ ही निम्नानुसार..... रु. का व्ययानुतोष..... द्वारा..... को प्रदान किया जाए
उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक..... 23/6/15..... को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज(%)		
	योग		